न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या....349..../2022

01.12.2022

आवेदक श्री सिकन्दर भारती पिता श्री विद्या भारती, साकिन–झुमरी तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
तिलैया	244	924	6246	02 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक .....09...../......12......../2022 को प्रस्तुत करें।

01/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

09.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

13.12.2022

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–924, प्लॉट सं0–6246, रकवा–2.7 डी0 भूमि श्री विद्या भारती पिता श्री ब्रहम्देव भारती के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–01 भाग संख्या–24 पर ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा0 खा0 वाद सं0–359 (II)/1995–96 दर्ज है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या–1874 दिनांक 06.03.1993 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–46 दिनांक 10.10.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–924, प्लॉट सं0–6246, रकवा–02 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–924, प्लॉट सं0–6246, रकवा–02 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

13/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.01.07 12:30:00 +05:30
Location: 192.168.29.246